बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 07.07.2015

आज दिनांक 07.07.2015 को बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 के अन्तर्गत कुल 24 (चौबीस) निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुआ। इस निर्वाचन में मतदान 8:00 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ हुआ। मतदान के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय सहित सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। आज के मतदान के दौरान शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक व्यवस्था की गयी थी।

इस निर्वाचन में कई व्यवस्थाओं को प्रथम बार प्रारंभ किया गया तथा उसे सफलतापूर्वक लागू भी किया गया जो निम्नवत् हैं :–

- प्रथम बार फोटो निर्वाचक सूची का उपयोग,
- मतपत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र का होना,
- ईपिक/फोटोयुक्त पहचान पत्र/संबंधित स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर मतदान,
- सभी मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग,
- सभी मतदान केन्द्रो पर माइक्रो प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति,
- सभी मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी,

इस मतदान में कुल 534 मतदान केन्द्र बनाये गये थे जहाँ 1,38,904 निर्वाचकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाना था। अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मतदान के दौरान लगभग 94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस निर्वाचन के प्रक्रिया की निगरानी हेतु सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 24 (चौबीस) प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी जिनके द्वारा पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण किया गया। सभी प्रेक्षकों के मोबाईल नंबर शिकायतों की प्राप्ति हेतु पूर्व में ही जारी कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस, उत्पाद एवं आयकर विभाग द्वारा अपने स्तर से एक–एक नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था जिनके संपर्क संख्या एवं ई–मेल आई०डी० शिकायत दर्ज कराने हेतु पूर्व में ही सार्वजनिक किये गये थे।

सभी जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 Flying Squad का गठन करने के साथ–साथ अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे व्यय के अनुश्रवण हेतु अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया तथा इस कोषांग के लिए एक टॉल फ्री नंबर जारी किया गया तथा नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गयी। पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पटना हवाई अड्डा सहित अन्य स्थलों की नियमित निगरानी एवं पुलिस महानिरीक्षक, रेल को राज्य के मुख्य रेलवे स्टेशनों की नियमित निगरानी करने का निदेश दिया गया।

कुल 1,279 ऐसे निर्वाचक जो निरक्षर अथवा अंधे थे, उन्हे अपने साथ सहयोगी ले जाने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी।

इस निर्वाचन के दौरान अब तक 13 देशी पिस्तौल, 5 देशी कट्टा, 142 कारतूष, 02 सिलिंडर बम, 16 मैग्जीन, 7 वोटर आई कार्ड, 30 मतपत्र, 8 मोटरसाईकिल, 8 मोबाईल, 4 मोबाईल बैट्री, 4 मोबाईल चिप, 1675 लीटर देशी शराब, 6 किलोग्राम गाँजा, नगद रू0 2,77,431/– एवं 7 बोरा महुआ राज्य पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त Flying Squad द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 15 मामले दर्ज किये गये हैं।

आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में मतदान के क्रम में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें संबंधित जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त पटना जिला में आदर्श आचार संहिता के कुल 1 मामले दर्ज किये गये हैं जिन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

****